न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 12/2015

श्री रामनिवास पुत्र श्री द्वारकादास जाति साधू (वैष्णव) निवासी ग्राम मण्डा तहसील केकडी, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. श्री देवकरण
3. श्री लाला
   पुत्रगण रामचन्द्र निवासीगण ग्राम मण्डा तहसील केकडी जिला अजमेर
4. न्याली पत्नी श्री सवाईराम, जाति जाट निवासी सूरजपोल गेट बाहर केकडी तहसील केकडी, जिला अजमेर।

.....**रेस्पोडेन्टस**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– **1.** श्री दिनेश कुमार वकील, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।
3. श्री मंगलाराम चौधरी वकील अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।
4. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक 07.04.2016

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील केकडी के राजस्व ग्राम मण्डा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 2.67 हैक्टर का नामान्तरकरण संख्या 512 दिनांक 24.06.2015 से तहसीलदार केकडी द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकडी के इन्द्राज दुरूस्ती आदेश क्रमांक 920/15 दिनांक 24.06.2015 की अनुपालना में श्री देवकरण श्री लाला पुत्रगण श्री रामचंद्र 1/2 कौम जाट व न्याली पत्नी श्री सवाईराम 1/2 कौम जाट साकिन देह खातेदार के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार केकडी के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्टस के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्टस जरिये वकील उपस्थित हुए तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोन्डेन्टस ने प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति व जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः अपील मियाद बाहर होने से ही निरस्त योग्य है।, वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत तर्क का विरोध करते हुए वकील

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट ने न्यायालय का ध्यान धारा 5 मियाद अधिनियम की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिती में आक्षेपीय आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश की जानकारी उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 07.07.2015 को पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त हुई तत्पश्चात आक्षेपीय आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 08.07.2015 को प्रार्थना पत्र पेश किया तत्पश्चात दिनांक 17.07.2015 को प्रतिलिपि प्राप्त हुई। उनका कथन है कि अपीलान्ट के उल्टी दस्त की बीमारी से पीडित होने के कारण समयावधि में अपील पेश नहीं कर सका। उन्होंने यह भी कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 4 ने फर्जी एवं अवैध विक्रय पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में अपीलान्ट व अन्य खातेदार के विरूद्व घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया था, जो विचाराधीन था एवं अपीलान्ट ने जवाब दावा भी प्रस्तुत कर दिया था जिसके विचाराधीन रहते रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट को सूचित कराये बिना चुपचाप दिनांक 24.06.2015 को राजस्व कैम्प मोलकिया में वाद को विड्रॉ कर खारिज करवा लिया तथा उसका अवैद्य फायदा उठाकर आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। उन्होंने कथन किया कि कोई भी आदेश बिना पक्षकार को सूचना दिये पारित किया जाता है तो वह आदेश Void ab initio है तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई आदेश पारित किया जावे तो मियाद अधिनियम के प्रावधान ऐसे आदेश पर लागू नहीं होते है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत अपील को निरस्त करने से पूर्व प्रकरण की गंभीरता को देखा जाना आवश्यक है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2012(1) पेज 137, R.R.D. 1998 पेज 319 व R.R.D. 1999 पेज 173 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को का विरोध करते हुए वकील रेस्पोन्डेन्टस ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन झूठे एवं मनगढंत है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह कथन कि उन्हें आक्षेपीय आदेश की जानकारी सर्वप्रथम पटवारी हल्का से हुई है इस संबंध में उन्होंने पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है इसके अतिरिक्त उनका यह कथन भी गलत है कि अपीलान्ट के बीमार होने के कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने डाक्टर अथवा किसी अन्य संस्था का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने आगे कथन किया कि अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थी को दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा मियाद प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई ठोस कारण भी अंकित नहीं किया गया है, जिससे अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सके। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र निरस्त करने के साथ ही साथ अपील मियाद बाहर होने से निरस्त की जावे। हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर ध्यानपूर्वक मनन किया। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Scanned by CamScanner

पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम मण्डा तहसील केकडी के खाता संख्या 7 में अंकित खसरा नम्बर 28 रकबा 2.67 राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सवंत् 2068–2071 में अपीलान्ट के नाम 1/2 हिस्सा बहैसियत खातेदार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वानतों के विपरीत है। अपने कथनो के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.D. 2012 पेज 83, व R.R.D. 1984 पेज 111 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा विवादित भूमि को जरिये विक्रय पत्र क्रय करना बताया गया है उक्त विक्रय पत्र अपीलान्ट के सह खातेदार द्वारा श्रीमति न्याली पत्नी श्री सवाईराम को विक्रय की गई थी तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा न्याली पत्नी सवाईराम से 1/2 हिस्से का विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टस को कभी कोई बेचान नहीं किया गया है। रेस्पोन्डेन्टस का अपीलान्ट के 1/2 हिस्से की भूमि से कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है, इसके बावजूद रेस्पोन्डेन्टस ने राजस्व रेकार्ड से अपीलान्ट का नाम विलोपित करवा कर स्वंय के पक्ष में आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट के सह खातेदार श्री रामेश्वरदास पुत्र श्री गंगाबिशन एवं कजोडी बेवा श्री गंगाबिशन द्वारा अपने 1/2 हिस्से का विक्रय रेस्पोन्डेन्टस संख्या 4 को किया गया उक्त विक्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 10.09.1998 क्रेता के पक्ष में स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 द्वारा अपनी क्रयशुदा 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्से का विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को किये जाने पर विक्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 10.09.1998 स्वीकृत किया गया तथा जमाबंदी संवत् 2042–45 में 1/4 हिस्से का इन्द्राज रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 1/4 हिस्से का इन्द्राज रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के हक में किया गया। इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट का 1/4 हिस्सा अंकन होने के बावजूद आक्षेपीय नामान्तरकरण में आराजी खसरा नम्बर 28 पर 1/2 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 के नाम कर अपीलान्ट का सम्पूर्ण हक हिस्सा ही समाप्त कर दिया जो विधि विरूद्व है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट ने विवादित आराजी बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का वाद अपीलान्ट के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष प्रस्तुत कर रखा था, जो विचाराधीन था, किन्तू रेस्पोन्डेन्ट ने गुप्त रूप से उक्त वाद को राजस्व कैम्प मोलकिया में नियत करवा कर विड्रॉ कर लिया। वाद विड्रॉ में केवल रेस्पोन्डेन्ट देवकरण के हस्ताक्षर है जबकि वादीगण बालाराम व न्याली की ओर से वाद विड्रॉ नहीं हुआ है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट वादीगण का वाद खारिज होने के बावजूद इसके विपरीत विवादित नामान्तरकरण बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश पारित किया जो शून्य एवं प्रभावहीन है। चूंकि संबंधित इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश रेस्पोन्डेन्ट वादीगण का दावा डिक्री होने पर ही किया जा सकता था किन्तू रेस्पोन्डेन्ट का दावा ही खारिज कर दिया गया। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित इन्द्राज दुरूस्ती का आदेश विरोधाभाषी होने से कानूनन प्रभावशून्य है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.B.J. (16) 2009 पेज 825 व R.R.D. 2006 पेज 494 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतो की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में उन्होंने कथन किया

Scanned by CamScanner

कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त कर अपील अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट ने न्यायालय का ध्यान प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करने हुए कथन किया कि अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में तहसीलदार केकडी की अनुशंषा पश्चात दिनांक 24.06.2015 को पारित आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है जिसमे किसी भी प्रकार से अनियमितता उजागर नहीं होती है। वकील रेस्पोन्डेन्ट का कथन है कि अपीलान्ट को नियमानुसार उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 24.06.2015 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिये। उनका कथन है कि यदि सक्षम न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी केकडी के आदेश दिनांक 24.06.2015 को निरस्त कर दिया जाता है तो आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वतः ही प्रभाव शून्य हो जायेगा। चूंकि आक्षेपीय नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय के आदेश की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है अतः जब तक अपीलान्ट मूल आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवा देता तब तक पश्चातवर्ती नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2005(2) पेज 774 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपील अपीलान्ट संधारण (maintainable) योग्य नहीं होने से निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी केकडी के आदेश दिनांक 24.06.2015 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता किया जाना रेकार्ड पर उजागर नहीं हुई है। अपीलान्ट को आक्षेपीय नामान्तरकरण से किसी भी प्रकार से कोई पीडा है तो नियमानुसार उन्हें उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2015 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिये। हम वकील रेस्पोन्डेन्ट के इन कथनों से सहमत है कि जब तक मूल आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक पश्चातवर्ती नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने R.R.T. 2005 (2) पेज 774 पर न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना को स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 07.04.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner